



**Code of Conduct for the Students of Govt. Colleges in Chhattisgarh**

1. The students will come to college in decent uniform. They will not wear any indecent or obscene dress in any situation.
2. The students will devote full attention to studies and cooperate in co-curricular activities organized by the college.
3. They will behave with decency in the college campus. They will not indulge in indecent behavior, abusive language or any sort of violence.
4. They will behave with all members of staff with decency and decorum.
5. It is the moral duty of all students to keep the college campus clean and green. They will lead a simple and frugal life.
6. Use of the alcohol or any kind of intoxicant is strictly prohibited in the campus.
7. Spitting here and there in the college or to write anything obscene or objectionable on the wall or to make the campus or wall dirty is strictly prohibited. If any student is found to be indulging in any antisocial or criminal activity, he will be severely punished as per the law.
8. The students will not create any terror or violence or illegal movement for their demands, they will not take active part in politics and will not take the help of any political party or news paper for getting their demands fulfilled.
9. The use of Mobile is prohibited in the college.



*P. S. S.*  
प्राचार्य  
शासकीय अग्रसेन महाविद्यालय  
बिल्हा जिला- बिलासपुर (छ.ग.)



## छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए आचार संहिता

### सामान्य नियम -

- छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर यह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा।
- विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिये छात्राओं के लिए सलवार, कुर्ता, ओढ़नी शालीन वेशभूषा होगी।
- प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
- महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार, असंसदीय भाषा का प्रयोग, गाली-गलौच, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
- प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।
- महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक दायित्व है, यह सरल निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।
- महाविद्यालय की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।
- महाविद्यालय में इधर-उधर धूकना, दीवारों को गंदा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है। असमाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
- विद्यार्थी अपनी मांगों का प्रदर्शन आंदोलन, हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेंगे। विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिये राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
- महाविद्यालय परिसर में मोबाईल का उपयोग पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा।

### अध्ययन संबंधी नियम -

- प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन.सी.सी./एन.एस.एस. में भी लागू होगी अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
- विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानीपूर्वक करेगा तथा उनको स्वच्छ रखेगा।
- ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्णतः पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में सही पुस्तकें प्राप्त होगी तथा समय से नहीं लौटाने पर निर्धारित दण्ड देना होगा।
- अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाई के लिये वह गुरुजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
- व्याख्यान कक्षाओं, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंचे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि का तोड़फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।

### परीक्षा संबंधी नियम -

- विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
- अरवरस्थावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा।
- परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ होने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा। जिस पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।



## महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र -

1. यदि छात्र अनैतिकता मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
  2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिरोध अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिये प्रेरित करने पर पाँच साल तक कारावास की सजा या पाँच हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
  3. यदि विद्यार्थी समय-सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
  4. यदि विद्यार्थी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा।
  5. महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।
- 
1. यदि छात्र अनैतिकता मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया जाता है तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
  2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया जाता है तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिरोध अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर पाँच साल तक का कारावास की सजा या पाँच हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
  3. यदि विद्यार्थी समय सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता है तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
  4. यदि विद्यार्थी प्रार्थना-पत्र अथवा आवेदन-पत्र में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत तथ्य प्रस्तुत करेगा, तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा।
  5. महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन-पत्र में उसके पालक या अभिभावक के घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।



  
शासकीय अपसेन महाविद्यालय  
बिल्हा जिला- बिलासपुर (छ.ग.)

दिनांक - 10/08/2016

गैज दिनांक 10/08/2016 को महाविद्यालय अनुशासन समिति की बैठक अपरान्ह 2 बजे प्राध्यापक कक्ष में आयोजित किया गया। महाविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने हेतु समिति द्वारा निम्न निर्णय भिजे गये :-

(1) महाविद्यालयीन / स्वाध्यायी / पूरक / मूतपूर्व छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय में अनावश्यक प्रवेश से महाविद्यालयीन अनुशासन प्रभावित होता है। अतः बैठक में निर्णय लिया गया कि स्वाध्यायी छात्रों को महाविद्यालय की कक्षा में प्रवेश व बैठने से रोका जाये एवं केवल नियमित छात्र/छात्राओं को ही कक्षा में बैठने की अनुमति दी जाये। इस हेतु महाविद्यालय के सूचना-पटल पर सूचना चरखा किया जावे।

(2) समस्त नियमित छात्र-छात्राएँ प्रतिदिन महाविद्यालय में अपना परिचय-पत्र धारण कर ही प्रवेश करें।

(3) परिचय-पत्र धारण करने संबंधी निरीक्षण किया जावेगा। साथ ही प्राध्यापक कक्षा में इस संबंध में सूचित करेंगे।



(04) महाविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने हेतु छात्र/छात्राएँ महाविद्यालय के प्राध्यापक/कर्मचारी से ही संपर्क करेंगे अन्य किसी बाहरी व्यक्ति को महाविद्यालयीन कार्यों में हस्तक्षेप के लिए नहीं लायेगा।

(05) महाविद्यालय में अनाधिकृत रूप से प्रवेश या बाह्य व्यक्तियों के प्रवेश को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाये तथा मादक पदार्थों के किसी भी प्रकार से सेवन महाविद्यालय परिसर में पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।

उपरोक्त बिंदुओं की अवहेलना किये जाने वाले संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

अनुशासन समिति की बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित रहे -

- (i) डॉ. हज़ल साठे - संयोजक
- (ii) डॉ. एम. के. भववाव - सह संयोजक
- (iii) श्रीमती दुर्वा चटर्जी - सदस्य
- (iv) प्रो. ए. के. मिश्रा -
- (v) डॉ. एम. आर. शर्मा -



# बैठक

दिनांक 11.08.2017

आज दिनांक 11.08.2017 को अनुशासन समिति की बैठक आयोजित है। उपरोक्त 2.00 बजे से निम्न निम्न सदस्यों की उपस्थिति भविष्य है -

संयोजक - डॉ. ए.एल. साठे  
सह संयोजक - डॉ. ले. शर्मा  
सदस्य - डॉ. आर. सी. अग्रवाल  
- श्री. के. अहमद  
- श्री. एस. के. अग्रवाल  
- श्री. ए. के. मिश्रा

आज की बैठक में महाविद्यालयी अनुशासन समिति द्वारा महाविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने हेतु निम्न निर्णय लिये गये तथा अनुशासन का पालन न करने पर उचित कार्यवाही के निर्देश भी दिये गये -

(i) महाविद्यालय में अनुशासन समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि महाविद्यालय परिसर में गैर अनुशासनात्मक कार्य किये जाने वाले छात्र (छात्राओं) को निर्देशित करना। अनुशासन समिति का यह भी कार्य है कि वे निवृत्त वेरिअल छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय की

अतिवधियों से परिचित कराये।

(ii) नियमित छात्र/छात्राएँ अपनी परिचय  
- पत्र धारण कर महाविद्यालय परिसर में  
करें। अनुशासन समिति यह भी देखेगी  
कि विद्यार्थी महाविद्यालयीन अनुशासन को  
उचित पालन कर रहे हैं कि नहीं।

(iii) अनुशासन समिति द्वारा यह निर्णय लिया  
गया कि छात्र-छात्राएँ कार्यालयीन  
कार्य हेतु किसी बाहरी या भूतपूर्व  
छात्र को सहारा लेकर कार्य नहीं  
करवायेंगे।

छात्र-छात्राएँ अनुशासन पूर्णता  
महाविद्यालय परिसर में बनाये रखेंगे।  
उक्त में निम्न सदस्यों की उपस्थिति  
थी -

डॉ. ए. एल. साठे

डॉ. ए. के. शर्मा

डॉ. भार. सी. अग्रवाल

श्री के. अहमद

श्री. एम. के. अग्रवाल

श्री. ए. के. मिश्रा

Atgmsv

  
प्रमुख



## बैठक सूचना

दिनांक 11.08.18

आज दिनांक 11.08.18 को दोपहर 3.00 बजे से अनुशासन समिति की बैठक रखी गयी है। शत उपरोक्त सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है -

संयोजक - डॉ. श्रीमती दुर्गा चरणी

सह संयोजक - डॉ. आर. सी. टंडन

सदस्य - श्री ए. के. मिश्रा

श्री सी. एल. पारहे

डॉ. ए. के. गिर

श्रीमती शुभा वमा

आज दिनांक 11.08.18 को

महाविद्यालय की अनुशासन समिति द्वारा महाविद्यालय में सम्पूर्ण अनुशासन बनाये रखने हेतु निम्न निर्णय लिये तथा तत्काल उसे प्रभाव से लागू करवाने को भी कहा गया -

- (i) नवप्रवेशित छात्र-छात्राओं को महाविद्यालय के अनुशासन से परिचित करवाना तथा उन्हें बिस एक दिन प्रथम वर्ष के छात्र-छात्राओं को Involvement Programme के माध्यम से महाविद्यालय की प्रत्येक महिला विद्यार्थी से परिचित करवाना।



(10) अनुशासन समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि महाविद्यालय में अनावश्यक भद्रपूर्व विद्यार्थियों के प्रवेश को पूर्णतः प्रतिबंधित करवाना जरूरी है।

(11) महाविद्यालय की छात्रों से नियमित छात्र/छात्राओं को ही प्रवेश दिया जाये जिससे महाविद्यालय के अन्दर अनावश्यक भीड़ उपस्थित न हो।

(12) अनुशासन समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि छात्र/छात्राओं को प्रतिदिन परिचय-पत्र धारण कर महाविद्यालय में प्रवेश करना ही महाविद्यालय के भीतर किसी भी प्रकार के ऐसी गतिविधि नहीं करनी है जिससे महाविद्यालय की अनुशासन व्यवस्था भंग हो।

(13) अनुशासन समिति इस हेतु सम्पूर्ण प्रयास करेगी तथा अनुशासन विरुद्ध कार्य करने वाले छात्र/छात्राओं को उचित दंड भी दिया जाएगा।

भव: अनुशासन समिति  
द्वारा उपरोक्त बिंदुओं को अंजित करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी -

बैंक बैंक में निम्न सदस्यों की  
उत्तरिधति रही -

(1) डॉ० श्रीमती दुर्गा यश्वती

डॉ० फ़ारुसी रंजन

डॉ० ए० के० गिरी

श्री० ए० के० मिश्रा

श्री० सी० एल० वारसे

श्रीमती शुभा नमि

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*  
*(Signature)*

*(Signature)*

शासकीय अग्रसन महाविद्यालय  
बिल्हा जिला- बिलासपुर (छ.ग.)



दिनांक 05.10.2019

महाविद्यालय में सत्र- 2019-20 के  
 वातिविधियों के संचालन हेतु अनुशासनसमिति  
 का गठन किया गया जिसकी बैठक  
 आज दिनांक 05.10.2019 को प्राय्यापक कक्ष  
 में अपराह्न 2.00 बजे ले निर्धारित किया  
 गया है जिसमें निम्न सदस्यों की उपस्थिति  
 अनिवार्य है -

- संयोजक - डॉ. श्रीमती दुर्गा चर्की
- सहसंयोजक - डॉ. धार. सी. रंजन
- सदस्य - श्री. ए. के. मिश्रा
- श्री. सी. एल. पाटले
- डॉ. ए. के. गिरि
- श्रीमती शुभा वमा

महाविद्यालयीन अनुशासन समिति  
 की बैठक में निम्न बिंदुओं पर चर्चा किये  
 गये तथा इन तत्काल प्रभाव से लागू किया  
 गया।

① महाविद्यालयीन। स्वाध्यायी (भूतपूर्व  
 छात्र/छात्राओं) के महाविद्यालय में अनावश्यक  
 प्रवेश से महाविद्यालयीन कार्य प्रभावित  
 होता है अतः इनके प्रवेश को रोकने  
 हेतु आवश्यक निर्णय समिति द्वारा  
 लिया गया।

② नियमित छात्र-छात्राओं के प्रवेश

धारण करने अनिवार्यतः करा जाएगा  
यह निर्णय समिति द्वारा लिया गया। बाकि  
निश्चित बात - छात्रों को पहचान  
ले सके।

(3) महाविद्यालयीन गतिविधियों/ अनुशासन  
से नवप्रवेशित छात्र (छात्रों) को  
परिचित करवाने हेतु 5 दिवसीय कार्यक्रम  
का आयोजन किया जाएगा। यह निर्णय  
समिति द्वारा लिया गया।

(4) महाविद्यालय में किसी भी प्रकार के  
मादक पदार्थों या गैर अनुशासनात्मक  
कार्य करते पाये जाने वाले विद्यार्थी पर  
उचित कार्यवाही की जायेगी।

(5) अनुशासन समिति श्री जिंगरानी में  
अपूर्ण महाविद्यालय में अनुशासन बनाये  
रखने को भी बात ली गयी।

इस ब्लॉक में निम्न सदस्य

उपरिस्थित रहे -

डॉ. श्रीमती दुर्गा चटर्जी

श्री ए. के. मिश्रा

श्री सी. ए. लाल - पारले

डॉ. ए. के. गिरि

श्रीमती शुभा वर्मा



बैठक - 2020-21

सत्र 2020-21 में करीग महसुस  
के संकलन से संबंधित हेतु मेली.  
में बैठक आयोजित नहीं हो पाई है।

प्रमुख  
प्रमुख

ग्रामकीय अग्रधन महाविद्यालय  
बिल्हा जिला- बिलासपुर (छ.प्र.)

# वैठक अनुशासन समिति

दिनांक - 05.10.2021

महाविद्यालय में सत्र 2021-22 के अनुशासनात्मक गतिविधियों के संचालन हेतु महाविद्यालयीन अनुशासन समिति का गठन किया गया जिसमें निम्न सदस्य हैं -

अध्यक्ष - डॉ० श्रीमती दुर्गा - चटर्जी  
डॉ० ए० एल० साठे  
श्री० के० अहमद  
श्री ए० के० मिश्रा  
श्री सी० एल० पाटले  
डॉ० ए० के० गिरि

कोरोना काल उपरान्त लक्षारु प्रारंभ होने पर दिनांक 05.10.2021 को महाविद्यालयीन अनुशासनात्मक समिति की बैठक आयोजित की गयी। जिसमें निम्न बिंदुओं पर निर्णय अनुशासन समिति द्वारा लिया गया।

(1) शासन के निर्देशानुसार अनुशासन समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं को मास्क का प्रयोग करना है व अनावश्यक महाविद्यालय परिसर में भीड़ नहीं करना है। अनुशासन समिति इसकी निगरानी करेगी।

(2) महाविद्यालय परिसर में अनावश्यक



भूतपूर्व छात्र/छात्राओं के प्रयोग को निषेध करने संबंधी निर्णय लिये गये।

(ii) एक वर्ष पश्चात् महाविद्यालय में कुशाधि प्रारम्भ हुई है अतः छात्र-छात्राओं को महाविद्यालय के नियमों से खबर करवाने का कार्य अनुशासन समिति करेगी।

(iii) सम्पूर्ण महाविद्यालय में स्वच्छता व महाविद्यालय परिसर में अनुशासन बनाये रखने के लिए छात्र/छात्राओं को जागरूक करना अनुशासन समिति करेगी।

(iv) महाविद्यालय में गैर-अनुशासनमक कार्य करते पाये जाने वाले छात्र/छात्राओं पर उचित कार्यवाही का निर्णय भी अनुशासन समिति द्वारा लिया गया।

उपरोक्त सभी निर्णय समिति के सभी सदस्यों द्वारा लिया गया।  
इन सबके में निम्न सदस्य उपस्थित रहे -

डॉ. श्रीमती दुर्वाचरजी  
डॉ. ए. एल. साठे  
श्री. के. बाबुमह  
श्री. ए. के. मिश्रा  
श्री. सी. एल. पारले  
डॉ. ए. के. गिरि

2016-2017

Date

शासकीय अग्रसेन महाविद्यालय में गठित महिला प्रताड़ना निवारण समिति द्वारा दिनांक 10/9/16 को महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं हेतु विषय संबंधित शक बैठक आयोजित की गई। जिसमें महिला के अधिकारों शक प्रते जागरूकता णने के लिए समिति के संयोजक, सह-संयोजक तथा सदस्यों द्वारा समन्वित किया गया।

महिला प्रताड़ना विषय की जानकारी शक रेखी स्थिति में किस प्रकार छात्राएं अपनी बात समिति तक पहुंचायेगी इसकी जानकारी छात्राओं को दी गई।

इस बैठक में समिति के पदाधिकारी प्राध्यापक-गण शक अन्य कर्मचारीगण तथा छात्राएं उपस्थित रही

संयोजक - डॉ. प्रवीण सिंह =

सदस्य - डॉ. आशा सिंह  
डॉ. श्रीमती दुर्गा चटर्जी  
श्रीमती शुभा बर्मा

AT  
[Signature]

प्राचार्य  
शासकीय अग्रसेन महाविद्यालय  
बिल्हा जिला- बिलासपुर (छ.ग.)



शा. अग्रसेन महाविद्यालय में गठित महिला प्रज्ञा निवारण समिति द्वारा दि. 5/8/17 को महाविद्यालय में कक्षयनवत छात्र-छात्राओं हेतु विषय सम्बन्धित एक बैठक आयोजित की गई। जिसमें महिला प्रज्ञा निवारण समिति के संयोजक, सह संयोजक तथा सदस्यों द्वारा सम्बन्धित किया गया।

इस बैठक का उद्देश्य छात्र-छात्राओं में जागरूकता लाना तथा सुरक्षा हेतु आवश्यक त्वरित उपायों पर विचार।

बैठक में महाविद्यालय के महिला प्रज्ञा निवारण समिति के समस्त महिला प्राध्यापक तथा अन्य महिला कर्मचारीगण भी उपस्थित थीं।

संयोजक - डॉ. श्रीमती दुर्गा चटर्जी सहा. प्रा. कुम्वेल


सह संयोजक - डॉ. आशा सिंह

सदस्य - श्रीमती शुभा वर्मा

श्रीमती सरिता तिकी

श्रीमती कनका साह

श्रीमती रमा माधव

  
Principal

Govt. Agrasen College  
Bilha, Dist. Bilaspur (C.G.)

महिला प्रताड़ना निवारण समिति द्वारा छात्राओं  
हेतु दि. 15/जून/18 बुधवार को एक संक्षिप्त  
कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में छात्राओं द्वारा अपने-अपने विचार  
प्रस्तुत किए गए। छात्राओं की जिज्ञासाओं का  
समिति के सदस्यों द्वारा तत्परता से निवारण उपाय  
बतकर आश्वस्त किया गया।

छात्राओं को स्वयं जागरूक रहने तथा  
अपने प्रति किसी भी प्रकार के कालम्मानजनक  
वातों कार्यो मा व्यवहारों को निर्भिक होकर  
समिति के सहाय्य करने के लिए प्रेरित  
किया गया।

इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में  
छात्राएँ उपस्थित रही।

कार्यक्रम में निम्न लोग उपस्थित रहे -

संयोजक - डॉ. श्रीमती दुर्वा चटर्जी

सह संयोजक - डॉ. श्रीमती आशा सिंह

सदस्य - श्रीमती शुभा वर्मा


श्रीमती सरिता तिकी


श्रीमती अनुशाधा साहू

श्रीमती रमाया देव









Principal

Govt. Agrasen College  
Bilha, Dist. Bilaspur (C.G.)






सत्र-2018-19 में महाविद्यालय  
के महिला प्रतापना निवारण समिति के द्वारा  
नवपुर्वकृत छात्राओं तथा इन्टरम स्त्री संकायों की  
छात्राओं की बैठक दि. 21/7/18 को आयोजित  
की गई।





समिति के द्वारा उद्देश्यों तथा  
सहयोगात्मक कार्यों की जानकारी दी गई। ताकि  
छात्राएँ महाविद्यालय परिसर में स्वयं को सुरक्षित  
महसूस करें।

छात्राएँ किसी भी विषय परिस्थिति या घटना  
की जानकारी समिति को दें ताकि उस पर  
उचित कदम उठाये जा सकें।

निम्न सम्माननीय सदस्य बैठक में उपस्थित रहे।

आह्वय -

संयोजक - डॉ. श्रीमती दुर्गा चटर्जी   
सह संयोजक - डॉ. श्रीमती काशी सिंह   
डॉ. प्राची सिंह - 

सदस्य - श्रीमती शुभा वर्मा   
श्रीमती लरिता कास   
श्रीमती करुणा गायकवाड़   
श्रीमती रमाशरण 

महविद्यालय में महिला महिला  
प्रशासनिक निवारण समिति द्वारा बैठक का आयोजन  
दि 10/1/19 को किया गया।

इस कार्यक्रम में छात्राओं  
द्वारा किली की प्रकार की कृषि घटना की कोई  
जानकारी प्राप्त नहीं हुई।

बैठक में लैंगिक समानता  
संबंधी विधि सम्मत तथ्यों की जानकारी  
प्रदान की गई।

समिति के निम्न सदस्य उपस्थित रहे।

6)  
अध्यक्षक - डॉ. श्रीमती दुर्गा चटर्जी  
सदस्य - डॉ. श्रीमती आशा सिंह  
          डॉ. प्राची सिंह  
सदस्य - श्रीमती शुभा वर्मा

श्रीमती ललिता द्वारा

श्रीमती करुणा गायकवाड़ - करुणा  
श्रीमती रमायादेव विरम

PM

Principal  
Govt. Agrarian College  
Bilha, Dist. Bhanuwar (C.G.)



महाविद्यालय की महिला प्रताड़ना निवारण समिति द्वारा महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को दि. 22/8/19 को समिति गठन के उद्देश्य तथा कार्य के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

ताकि छात्राएँ यदि किसी भी प्रकार की परिस्थितियों या घटनाओं या व्यवहारों को आपत्तिजनक जानकर शीघ्र ही इसकी सूचना समिति को कर सकें। ताकि समिति इस प्रकार की घटना के प्रति कड़े कदम उठा सके अतः महाविद्यालय में भविष्य में इस प्रकार की कृपिय घटना किसी भी छात्रा के साथ पुनः ना हो।

संयोजक - डॉ. श्रीमती दुर्गा चटर्जी

सह संयोजक - डॉ. श्रीमती काशा सिंह

डॉ. प्राची सिंह

सदस्य - श्रीमती शुभा वर्मा

श्रीमती सखिता नारा

श्रीमती शशापाव

Vishal d y b e t

PM

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

2019-20

महिला प्रताड़ना निवारण समिति द्वारा महाविद्यालय की छात्राओं को दि. 14/जुलाई 2020 को विषयसंबंधी महत्वपूर्ण कार्य व वाहन के उद्देश्य पर प्रकाश डाला गया।

ताकि छात्रों के साथ-साथ छात्र भी इन बातों को अवगत हो व अलिभ्रांति जान सकें कि किसी प्रकार से छात्राओं के सम्मान को ठेस ना पहुंचे।  
छात्र-छात्राओं के जिज्ञासापूर्ण विचारों व तथ्यों को सकारिति से सुना तथा उचित मार्गदर्शन दिया गया।

सत्र के दौरान किसी भी छात्रा द्वारा ऐसी किसी अप्रिय घटना की सूचना सकारिति को नहीं दी गई।

संयोजक - डॉ. श्रीमती दुर्गा चटर्जी

सहसंयोजक - डॉ. श्रीमती काशा सिंह

डॉ. प्राची सिंह

सदस्य - श्रीमती शाना वर्मा

श्रीमती सरिता क्वारा

श्रीमती रमापदत

Vishu dubey

W

Principal

Govt. Agrasen College  
Bilha, Dist. Bilaspur (C.O.)



22 मार्च 2020 से पूरे देश में कोविड-19 महामारी के कारण Lockdown लगा गया। जिसकारण दौलत-दात्राओं का महाविद्यालय आकर अध्ययन-डाध्यापन पूरी तरह से बंद हो गया।

उतः ऐसी परिस्थिति में महिला पुताइना निवारण समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की जा सकी।

शासन से प्राप्त निर्देशों के तहत दौलत-वे प्राध्यापकों को स्वास्थ्य सुरक्षा को अधिक ध्यान दिया गया।

उतः समिति द्वारा निर्देशों का पालन करने हुए कोई विशेष कार्य संपादित नहीं किए गए।

संयोजक - डॉ. श्रीमती दुर्गा चटर्जी

अध्यक्ष संयोजक - ~~डॉ. श्रीमती आशा सिंह~~

~~सदस्य~~ - श्रीमती शुभा वर्मा

सदस्य -> " सरिता तिकी - ~~...~~

"

Vaishali Dubey

Vaishali

Principal  
Govt. Agrasen College  
Bilha, Dist. Bilaspur (C.B.)

7 सितंबर 2021 को महाविद्यालय की महिला प्रताड़ना निवारण समिति द्वारा महाविद्यालय की छात्राओं को संबोधित कर शक्ति गठन के उद्देश्यों की जानकारी दी गयी। उन्हें महिला अधिकार एवं महिला अधिकारों के संरक्षण हेतु कानूनी प्रवधानों की जानकारी महिला प्रताड़ना निवारण समिति के सदस्यों द्वारा दी गयी। उन्हें उनके साथ घटित किसी भी अप्रिय घटना की जानकारी तत्काल समिति को देने का आग्रह किया गया ताकि समिति किसी छात्रा से साथ घटित घटना के एवज में सहायता लेकर, कई कदम उठा सके।

संयोजक - डॉ. श्रीमती दुर्गा चटर्जी

सदस्य - श्रीमती शुभा वर्मा

- श्रीमती सरिता बारा

- श्रीमती रमा यादव

D.M.



बैंक

डॉ० अग्रसेन महाविद्यालय विल्क में राज्य शासन द्वारा प्राप्त दिशा निर्देशों के तहत बैंकिंग रोकने एवं उनके क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखने हेतु महाविद्यालय में रूंदी बैंकिंग कमेटी का गठन किया गया। सत्र 2016-17 में महाविद्यालय की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने हेतु समिति के सदस्यों का गठन निम्नानुसार किया गया -

नाम	पद	मौ. न.
डॉ० ए.एल. शांते	संयोजक	
डॉ० श्रीमती दुर्गा चव्वा	सदस्य	
डॉ० ए.के. गिर	"	
श्री० ए.के. मिश्रा	"	
श्री आई.वी.एस. कंवर	"	
श्रीमती शुभा वर्मा	"	

समिति का प्रमुख उद्देश्य महाविद्यालय में बैंकिंग रोकना व सम्बंधित छात्र-छात्राओं को दूर करना है। छात्र-छात्राओं को जागरूक करना तथा ऐसे गतिविधियों में सम्मिलित होने पर कानून की जानकारियों से अवगत कराना।

दिनांक 18.07.2016 को रूंदी बैंकिंग कमेटी की बैठक दोपहर 2:30 बजे, कक्ष क्र. 01 में आयोजित की गयी जिसमें समिति के सदस्यों द्वारा न्वचाकर निम्नानुसार निर्णय लिये गये।

- (i) समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि छात्र-छात्राओं को बैंकिंग से सम्बंधित नियमों तथा कानूनों की जानकारी दिया जाय।

प्रमुख  
राज्य अखिल महाविद्यालय  
विल्कम्पूर (उ.प्र.)

- (1) सभी छात्र-छात्राओं को निर्णय का पालन करने के हेतु जागरुक किया जाए।
- (2) समिति के सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया कि बैगिंग से संबंधित जानकारी छात्र-प्रतिनिधि, कक्षा प्रतिनिधियों को भ्रवगत करके कक्षा में कड़ाई से पालन किये जाने हेतु कहा जाए।
- (3) समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि यदि कोई छात्र बैगिंग में लिफ्ट पाया जाता है तो उनका प्रवेश निरस्त कर कक्षा में प्रवेश न दिया जाए।
- (4) महा विद्यालय में प्रवेश के दौरान बैगिंग से संबंधित जानकारी एवं अनुशासनात्मक गतिविधियों के संबंध में शपथ पत्र भरवाया जाए।

अतः आज की बैठक धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्पन्न की जाती है।

उपस्थित सदस्य

- (i) जे. ए. एल. साठे
- (ii) डॉ. श्रीमती दुर्गा चटर्जी
- (iii) डॉ. ए. के. गिरि
- (iv) श्री ए. के. मिश्रा
- (v) श्री. आई. बी. एस. कंवर
- (vi) श्रीमती गुमा वमा



बैठक

आज दिनांक 10.08.2017 को महाविद्यालय में शैक्षणिक नियंत्रण समिति के सदस्यों की बैठक आयोजित की गयी जिसमें वासन से प्राप्त दिशा निर्देशों का पालन करते हुए शैक्षणिक छात्र-छात्राओं को महाविद्यालय परिषद में अनुशासन व्यवस्था बनाने श्यने हेतु जानकारी प्रदान किया जाय। इस हेतु निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुए।

- |                             |          |  |
|-----------------------------|----------|--|
| (i) डॉ० एन.एल. साठे         | अध्यक्ष  |  |
| (ii) डॉ० एन.के. शर्मा       | सहसंयोजक |  |
| (iii) श्री आर. सी. अग्रवाल  | सदस्य    |  |
| (iv) डॉ० एन. आर. आगर        | "        |  |
| (v) डॉ० एन.के. गिरि         | "        |  |
| (vi) श्री सी. वल्लभारले     | "        |  |
| (vii) श्रीमती दुर्गा चटर्जी | "        |  |

प्रचारक  
शासकीय अग्रमन महाविद्यालय  
मिर्जा जिला - महाराष्ट्र

समिति के सदस्यों के द्वारा निम्नानुसार निर्णय लेकर प्रियान्वित करने हेतु छात्र-छात्राओं को जानकारी उपलब्ध करायी गयी करामे जाने हेतु निर्णय लिया गया

(i) महाविद्यालय में नव प्रवेशित छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक से सम्बंधित नियम तथा अनुन के सम्बंध में कक्षा में उपस्थित होकर प्रदान किया जाय।

(ii) यदि पूर्व छात्राओं/छात्रों को कही गयी बात जो किसी भी नवप्रवेशित विद्यार्थियों को अप्रिय लगे तथा महाविद्यालय के व्यवस्था के प्रतिफल हो ले इसकी रिक्तियत समिति से तत्काल करें।

उपस्थित सदस्य :-



बैठक

भाज दिनांक 17.01.2018 को महाविद्यालय  
 रैजिंग नियंत्रण समिति के सदस्यों की बैठक  
 आयोजित की गयी जिसमें शासन से प्राप्त निर्देशों के  
 अनुसार छात्र-छात्राओं को महाविद्यालय में रैजिंग संबंधी  
 किसी भी प्रक्रिया में शामिल न होने व अनुशासनात्मक  
 व्यवस्था बनाये रखने हेतु जानकारी प्रदान किया गया।  
 इसमें समिति के निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुए -

- (01) डॉ० ए० ए० साठे संयोजक
- (02) डॉ० एम० धार० धागर सहसंयोजक
- (03) डॉ० ए० के० गमाई सदस्य
- (04) डॉ० ए० के० डारि
- (05) श्री ए० के० मिश्रा
- (06) श्रीमती कृष्णा गायकवाड़

समिति के सदस्यों द्वारा निम्नानुसार निर्णय  
 लेकर प्रभावित करने हेतु छात्र-छात्राओं को समझाये  
 उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्णय लिया गया -

- (i) सभी नवप्रवेशित छात्र-छात्राओं को रैजिंग संबंधी  
 जानकारी प्रदान की गयी।
- (ii) समिति ने यह भी निर्णय लिया की रैजिंग में  
 लिप्त छात्र-छात्राओं का पूरे निरस्त कर  
 इन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए।
- (iii) समिति ने यह भी निर्णय लिया की रैजिंग संबंधी  
 नियमों और कानूनों का पालन छात्र-छात्राओं  
 को कड़ाई से करना है।



उपरिचय सदस्य :->

- 01 डॉ० एल० एल० साठे
- 02 डॉ० एम० आ० भाग
- 03 डॉ० ए० के० बार्मा
- 04 डॉ० ए० के० गिरि
- 05 श्री ए० के० मिश्रा
- 06 श्रीमती उरुणा गायकवाड

व/र Dm

शासकीय अस्पताल, बिलासपुर  
बिलासपुर जिला - बिलासपुर (छ.प्र.)




# बैठक

भाज दिनांक 15/07/2019 को महाविद्यालय में रैजिंग नियंत्रण समिति का गठन किया गया साथ ही रैजिंग नियंत्रण समिति की बैठक आयोजित की गयी। इस समिति में निम्नांकित सदस्य हैं -



- (i) डॉ. ए.एल. शांडे - संयोजक
- (ii) डॉ. एम. आर. आगर - सह संयोजक
- (iii) डॉ. ए.के. शर्मा - सदस्य
- (iv) डॉ. ए.के. गिरि - " -
- (v) श्री.के. कौशिक - " -

समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थियों को रैजिंग से सम्बंधित जानकारी तथा वरिष्ठ विद्यार्थियों के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई ऐसी वातलाप की जाती है जो मानवीय संवेदनों के ठस पहुँचाता हो तो इसकी जानकारी समिति के सदस्यों को अविलम्ब दिये जाने हेतु अवगत कराया गया। इस संबंध में यह भी कृपया शासन से प्राप्त दिशानिर्देशों का पालन हेतु जानकारी दी गई।

उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर -

A. Mishra

प्रचार्य  
शासकीय अकासेन महाविद्यालय  
बिला जिला- बिलासपुर (छ.ग.)



लेठक

दिनांक 13.07.2020

सत्र 2020 में कोरोना महामारी के कारण महाविद्यालय में कक्षाएँ स्थगित थी। रज्जगन के कारण शालन के द्वारा पूर्ण लॉकडाउन रहा है। इस समय प्रवेशित छात्र-छात्राओं को पाठ्यक्रम की जानकारी एवं अध्यापन कार्य Online माध्यम से प्रदान करायी गयी।

- (i) डॉ० ए० एल० साठे - संयोजक
- (ii) डॉ० ए० के० शर्मा - सहसंयोजक
- (iii) डॉ० एम० आर० भागट - सदस्य
- (iv) डॉ० ए० के० गिरि - - -
- (v) श्री० ए० के० मिश्रा - - -

DR

शालनीय अखिल भारतीय  
बिल्हा जिला- बिल्हा (उ.प्र.)

दिनांक - 17.08.2021

महाविद्यालय में शैगिंग नियंत्रण समिति के सदस्यों की बैंक दिनांक 17.08.2021 को स्टॉफ रूम में आयोजित की गयी। जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए -

- डॉ. ए. ए. साठे - संयोजक
- डॉ. ए. के. गर्गा - सह संयोजक
- डॉ. ए. आर. आगर - सदस्य
- डॉ. ए. के. गार - - " -
- श्री. ए. के. गिम्हा - - " -
- डॉ. संजय भजनकर - - " -

शैगिंग नियंत्रण समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि नवप्रवेशित छात्र-छात्राओं को छासन से प्राप्त नियम व कानून व्यवस्था के सम्बंध में जानकारी से अवगत कराया जाय।

वर्तमान समय में कोरोना महामारी के तहत ओमिग्रॉन वैरियंट के बढ़ते प्रकोप को जैसे तेज जाये तथा इसके लिए विद्यार्थियों के सुरक्षा हेतु जानकारी अध्यापन कार्य के दौरान कक्ष में अनिवार्य रूप से दिया जाये। साथ ही मास्क की अनिवार्यता का पालन कड़ाई से लिया जाय। शैगिंग नियंत्रण समिति के द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि छात्रों को स्पष्ट रूप से बताया जाये कि अगर किसी भी प्रकार के नवप्रवेशित छात्रों को प्रताड़ित करने का शिकायत मिलता है तो इसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अनिवार्य रूप से किया जाये।

Asst. Dir. [Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]





कार्यालय- प्राचार्य, शासकीय अग्रसेन महाविद्यालय, बिल्हा  
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

Ph. - 07732 - 296975

Email - govtagrascollegebilha89@gmail.com

गणक का क्रम

3923  
07-09-21

// आदेश //

महाविद्यालय में सत्र 2020-21 से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के संचालन हेतु समितियों का गठन निम्नानुसार किया जाता है। संबंधितों से अपेक्षा है कि उन्हें दिये जा रहे दायित्वों का निर्वहन महाविद्यालय के हित में सम्पन्न कर सहयोग प्रदान करेंगे।

1. महाविद्यालय विकास एवं योजना समिति -

संयोजक -  
सह-संयोजक  
सदस्य

डॉ. ए.के. शर्मा, प्राध्यापक वाणिज्य  
डॉ. ए.एल. साण्डे, प्राध्यापक राजनीतिशास्त्र  
श्री के.अहमद, सहा.प्राध्यापक, गणित  
श्री एस.के. अग्रवाल, सहा.प्राध्यापक, अर्थशास्त्र  
डॉ. एम.आर.आगर, सहा.प्राध्यापक, रसायनशास्त्र  
डॉ. आर.पी. शर्मा, सहा. प्राध्यापक, वनस्पतिशास्त्र

2. क्रय समिति

संयोजक  
सदस्य

डॉ. ए.के. शर्मा, प्राध्यापक वाणिज्य  
श्री के.अहमद, सहा.प्राध्यापक, गणित  
श्री एस.के. अग्रवाल, सहा.प्राध्यापक, अर्थशास्त्र  
श्री एम.तिग्गा, सहायक ग्रेड-2

3. सम्मलित निधि समिति

अध्यक्ष  
उपाध्यक्ष  
सचिव  
सदस्य

पदेन प्राचार्य (डॉ. प्राची सिंह) प्राध्यापक, समाजशास्त्र  
डॉ. ए.एल. साण्डे, प्राध्यापक, राजनीतिशास्त्र  
डॉ. एम.आर.आगर, सहा.प्राध्यापक, रसायनशास्त्र  
श्री सी.एल. पाटले, सहा. प्राध्यापक, इतिहास  
श्री अजय कुमार मिश्रा, क्रीडाधिकारी

4. अनुशासन समिति -

संयोजक  
सह-संयोजक  
सदस्य

डॉ. श्रीमती दुर्बा चटर्जी, सहा. प्राध्यापक भूगोल  
डॉ. ए.एल. साण्डे, प्राध्यापक, राजनीतिशास्त्र  
श्री के.अहमद, सहा.प्राध्यापक, गणित  
श्री सी.एल. पाटले, सहा. प्राध्यापक, इतिहास  
श्रीमती शुभा वर्मा, सहायक प्राध्यापक, वनस्पतिशास्त्र  
डॉ. संजय भजनकर, सहा. प्राध्यापक, भौतिकशास्त्र

श्री अजय कुमार मिश्रा, क्रीडाधिकारी

5. एण्टी रैगिंग नियंत्रण समिति -

संयोजक  
सह-संयोजक  
सदस्य

डॉ. ए.एल. साण्डे, प्राध्यापक, राजनीतिशास्त्र  
डॉ. ए.के. शर्मा, प्राध्यापक वाणिज्य  
डॉ. एम.आर.आगर, सहा.प्राध्यापक, रसायनशास्त्र  
डॉ. ए.के. गिरि, सहा. प्राध्यापक, अंग्रेजी  
श्री अजय कुमार मिश्रा, क्रीडाधिकारी

6. सूचना का अधिकार/लो.से.गा. समिति -

लोक सूचना अधिकारी  
सहा. लोक सूचना अधिकारी  
सदस्य

पदेन प्राचार्य (डॉ. प्राची सिंह) प्राध्यापक, समाजशास्त्र  
डॉ. ए.एल. साण्डे, प्राध्यापक, राजनीतिशास्त्र  
श्री के.अहमद, सहा.प्राध्यापक, गणित

7. छात्रवृत्ति समिति -

संयोजक  
सह-संयोजक  
सदस्य

डॉ. ए.के. गिरि, सहा. प्राध्यापक, अंग्रेजी  
श्रीमती शुभा वर्मा, सहायक प्राध्यापक, वनस्पतिशास्त्र  
श्री एस.एस. टेकाम, प्रयोगशाला शिक्षक

8. छात्रसंगठन समिति -

छात्रसंघ प्रभारी  
छात्रसंघ सहप्रभारी  
सदस्य

डॉ. एम.आर.आगर, सहा.प्राध्यापक, रसायनशास्त्र  
डॉ. संजय भजनकर, सहा. प्राध्यापक, भौतिकशास्त्र  
श्री एस.के. अग्रवाल, सहा.प्राध्यापक, अर्थशास्त्र  
डॉ. आर.पी. शर्मा, सहा. प्राध्यापक, वनस्पतिशास्त्र

9. महिला प्रताडना निवारण समिति -

संयोजक  
सहसंयोजक  
सदस्य

डॉ. श्रीमती दुर्बा चटर्जी, सहा. प्राध्यापक भूगोल  
श्रीमती शुभा वर्मा, सहायक प्राध्यापक, वनस्पतिशास्त्र  
श्रीमती सरिता बारा, सहा. प्राध्यापक, वाणिज्य

10 यू.जी.सी./रूसा समिति -

सदस्य

डॉ. एम.आर.आगर, सहा.प्राध्यापक, रसायनशास्त्र  
रूसा प्रभारी  
डॉ. आर.पी. शर्मा, सहा. प्राध्यापक, वनस्पतिशास्त्र  
यू.जी.सी. प्रभारी  
डॉ. संजय भजनकर, सहा. प्राध्यापक, भौतिकशास्त्र  
श्रीमती सरिता बारा, सहा. प्राध्यापक, वाणिज्य



## 12. आयकर समिति -

संयोजक	श्री के.अहमद, सहा.प्राध्यापक, गणित
सहसंयोजक	डॉ. एम.आर.आगर, सहा.प्राध्यापक, रसायनशास्त्र
सदस्य	श्री एस.के. अग्रवाल, सहा.प्राध्यापक, अर्थशास्त्र

## 12. जनभागीदारी सलाहकार समिति/स्व वित्तीय सलाहकार समिति -

संयोजक	श्री एस.के. अग्रवाल, सहा.प्राध्यापक, अर्थशास्त्र
सहसंयोजक	श्री के.अहमद, सहा.प्राध्यापक, गणित
सदस्य	श्री एम. तिग्गा, सहा ग्रेड-2 श्री प्रदीप साहू, सहा. ग्रेड-3

## 13. कैरियर काउंसलिंग समिति -

संयोजक	श्री सी.एल. पाटले, सहा. प्राध्यापक, इतिहास
सदस्य	डॉ. श्रीमती दुर्बा चटर्जी, सहा. प्राध्यापक भूगोल श्रीमती शुभा वर्मा, सहायक प्राध्यापक, वनस्पतिशास्त्र श्रीमती सरिता बारा, सहा. प्राध्यापक, वाणिज्य

## 14. अपलेखन एवं ग्रंथालय समिति -

संयोजक	डॉ. ए.के. शर्मा, प्राध्यापक वाणिज्य
सहसंयोजक	श्री के.अहमद, सहा.प्राध्यापक, गणित
सदस्य	श्री अजय कुमार मिश्रा, क्रीडाधिकारी श्री एम. तिग्गा, सहा ग्रेड-2

## 15. शिकायत निवारण समिति

संयोजक	डॉ. ए.एल. साण्डे, प्राध्यापक, राजनीतिशास्त्र
सहसंयोजक	डॉ. श्रीमती दुर्बा चटर्जी, सहा. प्राध्यापक भूगोल
सदस्य	डॉ. एम.आर.आगर, सहा.प्राध्यापक, रसायनशास्त्र

## 16. राष्ट्रीय सेवा योजना सलाहकार समिति

कार्यक्रम अधिकारी	श्री सी.एल. पाटले, सहा. प्राध्यापक, इतिहास
सदस्य	श्री के.अहमद, सहा.प्राध्यापक, गणित श्री एस.के. अग्रवाल, सहा.प्राध्यापक, अर्थशास्त्र डॉ. श्रीमती दुर्बा चटर्जी, सहा. प्राध्यापक भूगोल डॉ. ए.के. गिरि, सहा. प्राध्यापक, अंग्रेजी

## 17. रेड क्रॉस सोसायटी सलाहकार समिति

संयोजक	श्री एस.के. अग्रवाल, सहा.प्राध्यापक, अर्थशास्त्र
सदस्य	श्री सी.एल. पाटले, सहा. प्राध्यापक, इतिहास श्री अजय कुमार मिश्रा, क्रीडाधिकारी

श्रीमती शुभा वर्मा, सहायक प्राध्यापक, वनस्पतिशास्त्र

### 18. पर्यावरण सुरक्षा एवं स्वच्छता समिति

संयोजक  
सहसंयोजक  
सदस्य

श्रीमती शुभा वर्मा, सहायक प्राध्यापक, वनस्पतिशास्त्र  
श्री सी.एल. पाटले, सहा. प्राध्यापक, इतिहास  
श्री आई.बी.एस. कवंर, सहा. प्राध्यापक, जीवविज्ञान  
डॉ. आर.पी. शर्मा, सहा. प्राध्यापक, वनस्पतिशास्त्र  
डॉ. संजय भजनकर, सहा. प्राध्यापक, भौतिकशास्त्र

### 19. नैक / आई.क्यू.ए.सी. (IQAC) समिति

नैक प्रभारी

डॉ. आर.पी. शर्मा, सहायक प्राध्यापक, वनस्पतिशास्त्र

आई.क्यू.ए.सी. प्रभारी

डॉ. संजय भजनकर, सहा. प्राध्यापक, भौतिकशास्त्र

डॉ. ए.के. शर्मा, प्राध्यापक वाणिज्य

श्री के.अहमद, सहा.प्राध्यापक, गणित

श्री एस.के. अग्रवाल, सहा.प्राध्यापक, अर्थशास्त्र

डॉ. एम.आर.आगर, सहा.प्राध्यापक, रसायनशास्त्र

डॉ. ए.के. गिरि, सहा. प्राध्यापक, अंग्रेजी

डॉ. श्रीमती दुर्बा चटर्जी, सहा. प्राध्यापक भूगोल

श्री सी.एल. पाटले, सहा. प्राध्यापक, इतिहास

श्रीमती शुभा वर्मा, सहायक प्राध्यापक, वनस्पतिशास्त्र

सदस्य

### 20. स्वीप कार्यक्रम प्रभारी

संयोजक  
सदस्य

श्री आई.बी.एस. कवंर, सहा. प्राध्यापक, जीवविज्ञान

डॉ. संजय भजनकर, सहा. प्राध्यापक, भौतिकशास्त्र

### 21. फर्नीचर एवं भंडार समिति

संयोजक  
सदस्य

श्री एम. तिग्गा, सहा ग्रेड-2

श्री भोप सिंह ठाकुर, सहा.ग्रेड-3.

श्री प्रदीप साहू, सहा. ग्रेड-3

श्रीमती रमा यादव, बुक लिफ्टर

### 22. अनु.जाति / अनु.जन.जाति / अ.पि.वर्ग कल्याण एवं मार्गदर्शन समिति

संयोजक  
सदस्य

डॉ. ए.एल. साण्डे, प्राध्यापक, राजनीतिशास्त्र

डॉ. एम.आर.आगर, सहा.प्राध्यापक, रसायनशास्त्र

श्री सी.एल. पाटले, सहा. प्राध्यापक, इतिहास

श्री आई.बी.एस. कवंर, सहा. प्राध्यापक, जीवविज्ञान

श्रीमती सरिता बारा, सहा. प्राध्यापक, वाणिज्य



## 23. स्नेह सम्मेलन / सांस्कृतिक साहित्यिक गतिविधियां संचालन समिति

संयोजक  
सदस्य

डॉ. एम.आर.आगर, सहा.प्राध्यापक, रसायनशास्त्र  
डॉ. श्रीमती दुर्बा चटर्जी, सहा. प्राध्यापक भूगोल  
श्रीमती शुभा वर्मा, सहायक प्राध्यापक, वनस्पतिशास्त्र  
श्रीमती सरिता बारा, सहा. प्राध्यापक, वाणिज्य  
श्री आई.बी.एस. कवंर, सहा. प्राध्यापक, जीवविज्ञान  
श्री आर.एस. चन्द्राकर, सहायक ग्रंथपाल

## 24. क्रीडा संचालन समिति

संयोजक  
सह संयोजक  
सदस्य

श्री अजय कुमार मिश्रा, क्रीडाधिकारी  
डॉ. ए.एल. साण्डे, प्राध्यापक, राजनीतिशास्त्र  
श्री के.अहमद, सहा.प्राध्यापक, गणित  
डॉ. एम.आर.आगर, सहा.प्राध्यापक, रसायनशास्त्र  
श्रीमती शुभा वर्मा, सहायक प्राध्यापक, वनस्पतिशास्त्र  
श्री एस.के. अग्रवाल, सहा.प्राध्यापक, अर्थशास्त्र

## 25. स्वागत / बिदाई एवं अन्य आयोजन समिति

संयोजक  
सदस्य

श्री सी.एल. पाटले, सहा. प्राध्यापक, इतिहास  
श्री एस.के. अग्रवाल, सहा.प्राध्यापक, अर्थशास्त्र  
डॉ. श्रीमती दुर्बा चटर्जी, सहा. प्राध्यापक भूगोल  
श्रीमती शुभा वर्मा, सहायक प्राध्यापक, वनस्पतिशास्त्र  
श्रीमती रमा यादव, बुक लिफ्टर

## 26. रोकड पंजी जांच समिति

संयोजक  
सदस्य

श्री एस.के. अग्रवाल, सहा.प्राध्यापक, अर्थशास्त्र  
श्री आई.बी.एस. कवंर, सहा. प्राध्यापक, जीवविज्ञान  
श्रीमती सरिता बारा, सहा. प्राध्यापक, वाणिज्य

## 27. डी.एफ.सी. जांच समिति

संयोजक  
सह संयोजक  
सदस्य

डॉ. ए.के. शर्मा, प्राध्यापक वाणिज्य  
डॉ. एम.आर.आगर, सहा.प्राध्यापक, रसायनशास्त्र  
डॉ. संजय भजनकर, सहा. प्राध्यापक, भौतिकशास्त्र  
श्रीमती शुभा वर्मा, सहायक प्राध्यापक, वनस्पतिशास्त्र  
श्रीमती सरिता बारा, सहा. प्राध्यापक, वाणिज्य

## 28. डाक टिकट जांच समिति

संयोजक

श्री के.अहमद, सहा.प्राध्यापक, गणित

**29. सामान्य भविष्य निधि / विभागीय भविष्य निधि सूक्ष्म जांच समिति**

संयोजक  
सदस्य

डॉ. ए.एल. साण्डे, प्राध्यापक, राजनीतिशास्त्र  
डॉ. एम.आर.आगर, सहा.प्राध्यापक, रसायनशास्त्र  
श्री के.अहमद, सहा.प्राध्यापक, गणित

**30. बुक बैंक / निःशुल्क पुस्तक / लेखन सामग्री प्रदाय समिति**

संयोजक  
सह संयोजक  
सदस्य

डॉ. श्रीमती दुर्बा चटर्जी, सहा. प्राध्यापक भूगोल  
श्री एस.के. अग्रवाल, सहा.प्राध्यापक, अर्थशास्त्र  
श्री सी.एल. पाटले, सहा. प्राध्यापक, इतिहास  
श्री आर.एस.चन्द्राकर, सहा.ग्रंथपाल

**31. स्वास्थ्य परीक्षण समिति**

संयोजक  
सदस्य

श्री एस.के. अग्रवाल, सहा.प्राध्यापक, अर्थशास्त्र  
डॉ. श्रीमती दुर्बा चटर्जी, सहा. प्राध्यापक भूगोल  
श्री सी.एल. पाटले, सहा. प्राध्यापक, इतिहास  
श्रीमती शुभा वर्मा, सहायक प्राध्यापक, वनस्पतिशास्त्र  
श्री अजय कुमार मिश्रा, क्रीडाधिकारी

**32. सायकल स्टैण्ड समिति**

संयोजक  
सदस्य

डॉ. आर.पी. शर्मा, सहा. प्राध्यापक, वनस्पतिशास्त्र  
श्री सी.एल. पाटले, सहा. प्राध्यापक, इतिहास  
डॉ. आर.सी. टण्डन, सहा.प्राध्यापक, रसायनशास्त्र  
श्री अजय कुमार मिश्रा, क्रीडाधिकारी

**33. ट्यूटोरियल / परिचर्चा / वर्कशाप / सेमीनार / राष्ट्रीय संगोष्ठी समिति**

संयोजक  
सह संयोजक  
सदस्य

डॉ. ए.एल. साण्डे, प्राध्यापक, राजनीतिशास्त्र  
डॉ. आर.पी. शर्मा, सहा. प्राध्यापक, वनस्पतिशास्त्र  
श्री एस.के. अग्रवाल, सहा.प्राध्यापक, अर्थशास्त्र  
डॉ. श्रीमती दुर्बा चटर्जी, सहा. प्राध्यापक भूगोल  
डॉ. ए.के. गिरि, सहा. प्राध्यापक, अंग्रेजी  
श्री सी.एल. पाटले, सहा. प्राध्यापक, इतिहास  
श्रीमती शुभा वर्मा, सहायक प्राध्यापक, वनस्पतिशास्त्र  
डॉ. संजय भजनकर, सहा. प्राध्यापक, भौतिकशास्त्र

**34. उपकरण सुधार समिति**

संयोजक  
सह संयोजक  
सदस्य

डॉ. एम.आर.आगर, सहा.प्राध्यापक, रसायनशास्त्र  
डॉ. श्रीमती दुर्बा चटर्जी, सहा. प्राध्यापक भूगोल  
श्रीमती शुभा वर्मा, सहायक प्राध्यापक, वनस्पतिशास्त्र  
डॉ. संजय भजनकर, सहा. प्राध्यापक, भौतिकशास्त्र  
श्री आई.बी.एस. कवर, सहा. प्राध्यापक, जीवविज्ञान



### 35. तिमाही/छःमाही एवं टेस्ट परीक्षा डेली डायरी जमा हेतु समिति

संयोजक  
सह संयोजक  
सदस्य

डॉ. ए.एल. साण्डे, प्राध्यापक, राजनीतिशास्त्र  
डॉ. श्रीमती दुर्बा चटर्जी, सहा. प्राध्यापक भूगोल  
डॉ. आर.पी. शर्मा, सहा. प्राध्यापक, वनस्पतिशास्त्र  
श्रीमती रमा यादव, बुक लिफ्टर  
श्रीमती वर्षा दुबे, भृत्य

### 36. पी.डी. केश बुक एवं अन्य परीक्षण समिति

संयोजक  
सह संयोजक  
सदस्य

डॉ. आर.पी. शर्मा, सहा. प्राध्यापक, वनस्पतिशास्त्र  
श्री एस.के. अग्रवाल, सहा. प्राध्यापक, अर्थशास्त्र  
श्रीमती सरिता बारा, सहा. प्राध्यापक, वाणिज्य  
डॉ. संजय भजनकर, सहा. प्राध्यापक, भौतिकशास्त्र

### 37. अध्यापन निरीक्षण/समय सारिणी समिति – अध्यक्ष – पदेन प्राचार्य, (डॉ. प्राची सिंह), प्राध्यापक, समाजशास्त्र

संयोजक  
सह संयोजक  
सदस्य


डॉ. ए.एल. साण्डे, प्राध्यापक, राजनीतिशास्त्र  
डॉ. ए.के. शर्मा, प्राध्यापक वाणिज्य  
श्री के.अहमद, सहा. प्राध्यापक, गणित

### 38. नेक आय/व्यय लेखा निरीक्षण समिति

संयोजक  
सह संयोजक  
सदस्य

डॉ. आर.पी. शर्मा, सहा. प्राध्यापक, वनस्पतिशास्त्र  
नैक प्रभारी  
डॉ. संजय भजनकर, सहा. प्राध्यापक, भौतिकशास्त्र  
आई.क्यू.ए.सी. प्रभारी  
श्री के.अहमद, सहा. प्राध्यापक, गणित  
श्री एम. तिग्गा, सहा. ग्रेड-2

पृ. क्रमांक ...../स्था./2020  
प्रतिलिपि :-

  
प्राचार्य  
शासकीय अग्रसेवा विद्यापीठ, बिल्हा  
बिल्हा जिला-बिलासपुर (छ.ग.)  
बिल्हा, दिनांक .....

1. समस्त संबंधितों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
2. स्थापना शाखा नस्ती हेतु।

प्राचार्य